पत्रांक 1642 / एम एस कौम्प/20
दिनांक 29-7-19

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बापू भवन द्वितीय तल स्थित सभागार में पुर्नगठित River Rejuvenation Committee (RRC) की बैठक दिनांक– 17.07.2019 का कार्यवृत्त।

पुर्नगठित River Rejuvenation Committee (RRC) की बैठक प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बापू भवन द्वितीय तल स्थित सभागार में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों/अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

1– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा पूर्व में तैयार किये गये 12 नदियों के एक्शन प्लान्स् को पूर्व बैठक दिनांक– 01.07.2019 में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुये संशोधित कार्ययोजनायें बोर्ड की बेवसाइट– http://www.uppcb.com/action-plan-june2019.htm पर अपलोड कर दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वी उ0प्र0 की नदियों के पुनरोद्धार हेतु गठित समिति की विभिन्न बैठकों में पारित निर्देशों के अनुक्रम में आमी नदी एवं तमसा नदी हेतु भी विस्तृत अध्ययन बोर्ड द्वारा कराया गया तथा पाया गया है कि नदी की जल गुणता मानको के अनुरूप नही है, अतः इन नदियों के समुचित सुधार एवं पुनरोद्धार के उद्देश्य से कार्ययोजनायें तैयार की गयी है।

2– बोर्ड द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण एवं विभागवार क्रियाशील बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये निर्धारित समय सीमा का उल्लेख किया गया है। आमी एवं तमसा नदी हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना में मुख्य रूप से प्रदूषण के स्त्रोत विभिन्न नालों के माध्यम से अशुद्धिकृत सीवेज का गिरना है, इसके अतिरिक्त इन नदियों के कैचमेन्ट में स्थित कुछ औद्योगिक इकाईयों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह भी निस्तारित होता है एवं उद्योगों में जल खपत कम करने एवं अन्य पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में पृथक से गैप चिन्हित किये गये है, जिन्हें एक्शन प्लान में सम्मिलित किया गया है। इन नदियों के एक्शन प्लान में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण/उपचार की कोई व्यवस्था नही है।

बैठक में उपस्थित उ0प्र0 जल निगम के श्री अजय रस्तोगी, मुख्य अभियंता, गंगा सेल द्वारा इंगित किया गया कि क्रियाशील बिन्दुओं की समय–सीमा अत्यन्त कम है, जिसे बढ़ाये जाने पर विचार किया जाय।

3– सदस्य सचिव द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त क्रियाशील बिन्दुओं के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उक्त ड्राफ्ट कार्ययोजना सभी को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी जायेगी, जिस पर ट्रैक चेंज के माध्यम से वांछित सूचनायें बोर्ड को दिनांक– 18.07.2019 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा यह समझा जायेगा कि कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है और कार्ययोजना को प्रेषित कर दिया जाएगा।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित विभाग)

4– प्रमुख सचिव महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसी ड्रेन्स को चिन्हित किया जाये जिनको पण्डिंग/फाइटो रैमेडिएशन आदि कम खर्च वाली स्थानीय तकनीकी से शुद्धिकरण किया जा सके। आगामी 02 माह में ऐसी ड्रेन्स को चिन्हित कर कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों से जनित सीवेज के शुद्धिकरण हेतु इन–सीटू ट्रीटमेन्ट भी किया जा सकता है।

(कार्यवाही– जल निगम)

5– डा0 एस0आर0 टैगोर, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा, गोरखपुर में स्थित औद्योगिक इकाईयों से जनित सीवेज/उत्प्रवाह के शुद्धिकरण उत्प्रवाह हेतु 15 एम0एल0डी0 क्षमता के शुद्धिकरण संयंत्र के डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। सदस्य सचिव महोदय द्वारा आमी नदी की ड्राफ्ट कार्ययोजना में उक्त सूचना अपडेट करने का अनुरोध किया गया।

प्रमुख सचिव महोदया द्वारा श्री टैगोर को निर्देशित किया गया कि यू0एल0बी0 एवं ग्राम प्रधानों को नदियों के संरक्षण हेतु जागरूक करने हेतु कार्यशाला का आयोजन जल्द किया जाय।

(कार्यवाही– राज्य स्वच्छ गंगा मिशन)

6– सदस्य सचिव द्वारा समस्त उपस्थित विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि पूर्व में 12 नदियों की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है, उनमें विभागवार दिये गये बिन्दुओं में सूक्ष्म कार्ययोजना (माइक्रो एक्शन प्लान) बनाकर एक सप्ताह में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाय जिससे उन का वित्तीय पोषण NRCP के लिए भी प्रेषित किया जा सके। सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा RRC की बैठक में भाग लेने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाये तथा उक्त अधिकारियों द्वारा ही बैठकों में भाग लिया जाये। विभागीय अधिकारी नोडल अधिकारियों का नाम एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित विभाग)

7– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में राप्ती नदी का एक्शन प्लान तैयार कर बेवसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें रोहिन नदी के प्रदूषण स्रोतों को भी संज्ञान में लेते हुये कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में पृथक से कार्ययोजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नही है।

अन्त में दिनांक– 18.07.2019 तक समस्त विभागों से वांछित सूचनायें की प्राप्ति एवं समायोजन के उपरान्त आमी एवं तमसा नदी की कार्ययोजना के अनुमोदन पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या– 830(1)/81–7–2019–49(पर्या0)/2017
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–7
लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3– निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।

4– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।

5– निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।

6– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।

7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

8– निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।

9– डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रूड़की।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।